Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में वादिया के पति की हत्या करने की घटना कारित करने केआरोपियों खैराती , ओमवीर व सुखपाल को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ आजीवन कारावास व 50,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्तों 1.खैराती पुत्र अतरे, 2.ओमवीर पुत्र प्रकाश व 3.सुखपाल पुत्र गजराज निवासीगण ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2023 में वादिया के पति की हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 212/2023 धारा 302/34 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 22.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल एससी/एसटी कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों खैराती, ओमवीर व सुखपाल को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री रविकान्त भारद्वाज एडीजीसी

है0का0 रविन्द्र कुमार कोर्ट पैरोकार

विवेचक-निरीक्षक श्री मगनवीर सिंह गिल (तत्कालीन थाना प्रभारी कोतवाली बागपत)

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल   दिनाँक22.11.2025

साइबर क्राइम सेल द्वारा कम्बोडिया से साइबर बंधक(साइबर स्लेवरी) के शिकार बागपत के युवक का गृह मंत्रालय के I4C सेंटर व भारतीय दूतावास, कंबोडिया से समन्वय स्थापित कर देश प्रत्यावर्तन कराया गया

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

जनपद बागपत के ग्राम धनौरा सिल्वर नगर निवासी डोली पत्नी विकास राणा द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके पति विकास राणा नौकरी के उद्देश्य से कंबोडिया गए थे, जहाँ उन्हें अवैध रूप से बंधक बनाकर साइबर स्लेवरी में लगाया गया है।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक मेरठ, जोन मेरठ, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ, परिक्षेत्र मेरठ के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक बागपत के पर्यवेक्षण में साइबर सेल बागपत द्वारा त्वरित जांच प्रारंभ की गई। जांच में पुष्टि हुई कि विकास राणा को कंबोडिया में प्रतिबंधित साइबर गतिविधियों में जबरन लगाया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल बागपत ने विकास राणा के सुरक्षित प्रत्यावर्तन हेतु गृह मंत्रालय, I4C (Indian Cyber Crime Coordination Centre, New Delhi) तथा भारतीय दूतावास, कंबोडिया से सतत समन्वय स्थापित किया। लगातार संवाद, सटीक तकनीकी तथ्यों के संकलन एवं समन्वित प्रयासों के फलस्वरूप कंबोडिया पुलिस द्वारा विकास राणा को संबंधित स्लेवरी सेंटर से रेस्क्यू कराया गया। तत्पश्चात उच्चस्तरीय समन्वय के चलते उनका सुरक्षित प्रत्यावर्तन संभव हो सका।

साइबर सेल बागपत मानव तस्करी व साइबर स्लेवरी से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील है तथा ऐसे मामलों में त्वरित व प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

साइबर स्लेवरी से बचाव हेतु सावधानी सुझाव :

1. विदेश नौकरी के नाम पर पासपोर्ट, टिकट या वीजा बनवाने वाले निजी एजेंटों से सतर्क रहें; सभी सत्यापन सरकारी पोर्टल/एम्बेसी से अवश्य कराएं।
2. अत्यधिक वेतन, आसान ऑनलाइन कार्य या विदेशी जॉब के आकर्षक प्रस्ताव प्रायः मानव-तस्करी एवं साइबर फ्रॉड से जुड़े होते हैं—ऐसे प्रस्तावों की स्वतंत्र जांच अवश्य कराएं।
3. साईबर क्राइम होने पर 1930 पर तत्काल शिकायत दर्ज कराये।

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 22.11.2025

जनपद सहारनपुर पुलिस की सूचना पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस, थाना बडौत थाना रमाला पुलिस, स्वाट बागपत, सर्विलांस सैल बागपत की सतर्कता, समन्वय एवं त्वरित कार्रवाई से 45 लाख रुपये की प्रस्तावित लूट की घटना टली ।

घटना का विवरण/ कार्यवाही-

जनपद सहारनपुर पुलिस से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधी शहजाद पुत्र याकूब, निवासी ग्राम नन्हेड़ा बुड्ढाखेड़ा थाना नागल, जनपद सहारनपुर, जो गौकशी, हत्या प्रयास, गैंगस्टर एवं शस्त्र अधिनियम के दर्जनों मामलों में वांछित है, अपने साथियों के साथ मिलकर पशु व्यापारी शादाब पुत्र जमशेद निवासी पंजाब के साथ 45 लाख रुपये की लूट को अंजाम देने की फिराक में है। शहजाद की गतिविधियों से ज्ञात हुआ कि वह पंजाब से साथियों के साथ पशु मंडी से पशु लाकर डासना फैक्ट्री में बेचने के अवैध नेटवर्क में सक्रिय रहता है। उसके साथी पंजाब से डासना व बागपत होकर गुजरते हैं, जिनके पास 45 लाख रुपये की नकदी है। शहजाद इन रुपयों को अपने साथी फरमान व अन्य साथियों के साथ मिलकर लूटने की योजना बना रहा है।

इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा विशेष अभियान चलाया गया जिसमें थाना कोतवाली बागपत पुलिस, थाना बडौत पुलिस, थाना रमाला पुलिस, स्वाट बागपत एवं सर्विलांस सैल बागपत द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए शादाब व उसके 45 लाख रुपयों की सुरक्षा करते हुए बागपत सीमा से सकुशल उसके गन्तव्य तक पहुंचाया गया ।

बागपत पुलिस टीम के सहयोग से थाना बडागांव क्षेत्र में सहारनपुर पुलिस के साथ मुठभेड में अभियुक्त शहजाद को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बड़ागांव पर मु0अ0सं0-260/25 धारा 109(1),3(5)बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शहजाद पुत्र याकूब, निवासी ग्राम नन्हेड़ा बुड्ढाखेड़ा थाना नागल, जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 जिंदा एवं 01 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 241/2025 धारा 3/5/8 गौवध निवारण थाना बड़गांव
2. मु0अ0स0 231/2025 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना बड़गांव
3. मु0अ0स0 543/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सदर बाजार
4. मु0अ0स0 378/23 धारा 3/5/8 गौवध एक्ट थाना सदर बाजार
5. मु0अ0स0 263/23 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रामपुर मनिहारन
6. मु0अ0स0 248/20 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधिनियम थाना नांगल
7. मु0अ0स0 112/19 धारा 3/5/8 गौवध एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नांगल
8. मु0अ0स0 392/22 धारा 3/8 गौवध एक्ट थाना नांगल

9. मु0अ0स0 88/14 धारा 110 जी दंप्रसं थाना नांगल
10. मु0अ0स0 207/08 धारा 307 भादवि थाना नांगल
11. मु0अ0स0 260/2025 धारा 109(1), 3(5) BNS, 3/25/27 शस्त्र अधिनियम थाना बड़गांव

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनाँक 22.11.2025**

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाना बडौत क्षेत्र से लापता 12 वर्ष के बच्चे को अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो के सुपुर्द किया।

<u>सक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-</u>

दिनाँक 21.11.2025 को थाना बडौत पर वादी श्री शाकिर पुत्र नसीम निवासी पठानकोट कस्बा बडौत थाना बडौत जिला बागपत ने सूचना दी कि वादी का पुत्र शाकिब उम्र 12 वर्ष दिनाँक 21.11.2025 को रात्रि 20.05 बजे घर के सामने खेल रहा था जो गुम हो गया है। सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी बडौत के द्वारा टीम गठित कर बालक के तलाश हेतु रवाना किया गया। बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के

अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाना बडौत क्षेत्र से गुम हुए नाबालिग बालक उम्र 12 वर्ष को अल्प समय में सकुशल बरामद किया गया तथा उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-**प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार चाहल थाना बडौत।**

2-म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना बडौत।

3-है0का0 717 रोजूद्दीन थाना बडौत।

4-है0का0 754 मन्जीत कुमार थाना बडौत।

5-है0का0 769 सतेन्द्र सिंह थाना बडौत।

6-का0 301 मुलायम सिंह थाना बडौत

7-का0 258 राहुल चौहान थाना बडौत

8-का0 666 रघुवीर सिंह थाना बडौत

9-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत।

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 22.11.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-प्रेमपाल पुत्र हरपाल निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-सचिन पुत्र यशवर्धन निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-जमील पुत्र सद्दीक उर्फ बिच्छु निवासी मौ0 इस्लामाबाद कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत

4- राहुल पुत्र ताराचन्द निवासी अहमदनगर थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 26 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना छपरौली पुलिस टीम। (02 वारंटी)

2-थाना दोघट पुलिस टीम। (01 वारंटी)

3-थाना खेकडा पुलिस टीम। (01 वारंटी)